न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 101/2016 Rcms No. 2016/00141
दायरा तिथि : 26.12.2016
प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.08.2019 फाईनल डिक्री दिनांक 18-11-2019

वादी :–

भवानीसिंह पुत्र नरपतसिंहजी जाति राजपूत
निवासी फतापुरा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मनोहरसिंह पुत्र नरपतसिंहजी
2. हीरसिंह पुत्र नरपतसिंहजी तमाम जाति राजपुत
   निवासी फतापुरा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. श्री अमृत परिहार — अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री नारायणसिंह जोशी — अभिभाषक प्रतिवादी सं0–02 की ओर से
3. तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18-11-2019

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के संयुक्त सहखातेदारी में धारित की जा रही भूमि सरहद मौजा फतापुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 195, 197, 198 कुल रकबा 11.87 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान रूपये 83.09 के अधिकार अभिलेखों में दर्ज वादी का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 का 2/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–02 का 1/9 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह **P.W. 01** भवानीसिंह पुत्र स्व0 नरपतसिंहजी के बयान कलमबद्ध कराये गये।

वादी के वादपत्र का प्रतिवादी संख्या–01 श्री मनोहरसिंह ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर ईकबालिया जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–02 हीरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह जोशी ने वादी के वादपत्र का बिन्दुवार जवाबदावा निम्नानुसार पेश किया:–

1. वाद में उल्लेखित खसरा संख्या क्षैत्रफल व किस्म भूमि का विवरण सही होने से स्वीकार हैं। उक्त पद में उल्लेखित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं वादी के स्व0 पिता ठाकुर श्री नरपतसिंहजी के खातेदारी की थी। तथा उनके देहांत के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी उनकी पत्नि व पुत्र व पुत्रियों को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। तथा उसी अनुसार उक्त कृषि भूमि नरपतसिंहजी की मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नि श्रीमति गुलाब कंवर पुत्र हिरसिंह, नरपतसिंह मनोहरसिंह व भवानीसिंह तथा उनकी पुत्रियो श्रीमति नन्दाकंवर, श्रीमति कैलाशकंवर, श्रीमति संतोष कंवर व श्रीमति शोभाकंवर को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। तथा स्व0 ठाकुर श्री नरपतसिंहजी गॉव फतापुरा के ठाकुर थे तथा ठाकुर परम्परा के अनुसार ही उनकी सम्पति का उत्तराधिकारियों में हस्तान्तरण होना था। जिससे बडे पुत्र होने के कारण से प्रतिवादी हिरसिंह ठाकुर हुए हैं तथा स्वर्गीय श्री नरपतसिंह की सम्पति का उत्तराधिकारियो में वितरण प्रतिवादी संख्या–02 की सहमति से होना अपेक्षित था। परन्तु स्व0 ठाकुर श्री नरपतसिंह के अन्य उत्तराधिकारियों ने प्रतिवादी संख्या–02 को उसके वाजिब हक से वंचित करने की गरज से योजनाबद्ध तरीके से स्व0 ठाकुर श्री नरपतसिंह की पत्नि श्रीमति गुलाब कंवर व पुत्रीया श्रीमति नन्दा कंवर, कैलाश कंवर, सन्तोष कंवर, शोभा कंवर का हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या–01 के हक में हस्तान्तरित करवा दिया। जबकि श्रीमति गुलाब कंवर अभी भी जीवित हैं तथा उन्हे जीवन यापन के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता रहेगी। तथा स्व0 श्री नरपतसिंह की सभी पुत्रीया शादीशुदा है तथा वे राजपुत जाति की परम्परा के अनुसार पीहर की सम्पति में हक व अधिकार नहीं रखती हैं तथा उन्होंने भी बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किये बिना कोई युक्ति युक्त कारण के वादी भवानीसिंह एवं प्रतिवादी संख्या–01 मनोहरसिंह के हक में भूमि का हस्तान्तरण करा दिया हैं।

पेज लगातार.....02

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वादी भवानीसिंह एवं प्रतिवादी मनोहरसिंह उक्त कृषि भूमि में समान हित रखते हैं तथा वादी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मनोहरसिंह को प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी बनाया गया हैं तथा वाद पत्र में भी पूर्ण जानकारी नहीं दी गई हैं। इस प्रकार वादी द्वारा उक्त वाद पुर्ण दुर्भावना पूर्वक पक्षकारो के संयोजन से प्रस्तुत किया है जो वादपत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

2. पद संख्या–02 वादपत्र में उल्लेखित कथनो का जवाब हैं कि उक्त पद में उल्लेखित कथन गलत होने से अस्वीकार हैं। स्व0 ठाकुर श्री नरतसिंहजी द्वारा अपने जीवनकाल में वसीतनामे का निष्पादन किया था। जिस वसीयतनामें की जानकारी स्वयं ठाकुर साहब द्वारा प्रतिवादी संख्या–02 को देकर बताया था कि उक्त वसीतनामा उनकी पत्नि यानि प्रतिवादी संख्या–02 की माता के पास है तथा उन्होने यह भी बताया था, उनकी मृत्यु उपरान्त उनकी सम्पति का निस्तारण चारो भाईयों में बराबर बराबर बांट कर किया जाना था। इस प्रकार स्व0 ठकुर श्री नरपतसिंह के चारो पुत्र उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक 1/4 हिस्से खातेदारी पाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार स्व0 ठाकुर नरपतसिंह के उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिवादी संख्या–02 को उसके अधिकार से वंचित करने की गरज से वसीयतनामें के प्रकरण में नहीं लाकर धोखाधडी पूर्ण कृत्य करते हुसे भूमि को अवैध रूप से हस्तान्तरित कर दिया जो कि सरासर गलत हैं।

3. पद संख्या–03 वादपत्र में उल्लेखित कथनो का जवाब हैं कि उक्त कथनों में तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं वादी उसके बताये हुये 2/3 हिस्से का हकदार नहीं हैं तथा व केवल मात्र 1/4 हिस्से का अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा मूलभूत तथ्यों को छिपाते हुए गलत वाद प्रस्तुत किया गया हैं जो वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

4. पद संख्या–04 वाद पत्र में उल्लेखित कथनो का जवाब हैं कि उक्त पद में बताये गये तथ्य गलत होने से अस्वीकार है तथा प्रतिवादी संख्या –02 के भाईयों ने आपस में मिलकर गुट बना दिया हैं तथा वे प्रतिवादी संख्या–02 एवं उनके पुत्रों एवं उनके काश्तकारो को अकारण परेशान करते रहते हैं। जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या–01 के काश्तकारों द्वारा एवं मनोहरसिंह व भवानीसिंह ने पुलिस मे रिपोर्ट भी दी गई हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 में भील व मीणा जाति के दुरदांग जाति को काश्तकार रखकर प्रतिवादी संख्या एक व उनके पुत्रो को भयभीत करने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–02 के लिए उसके परिवार के लागों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से जीना हराम किया गया हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि वादी ने काल्पनिक तथ्य बताकर झुठा एवं मनगठन्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं जो वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

5. पद संख्या–05 वाद पत्र में उल्लेखित कथनो का जवाब हैं कि वादी द्वारा उक्त वादपत्र बिना किसी योग्य कारण के पक्षकारों के कुसंयोजन में प्रस्तुत किया होने से वादी के हक में कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ हैं। जिससे वाद कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाने योग्य हैं।

6. पद संख्या 6, 7, 8 वादपत्र में उल्लेखित कथनो का जवाब हैं कि उक्त पदो में उल्लेखित तथ्य कानूनी होने से न्यायालय द्वारा विनिश्चित किये जाने योग्य हैं।

इन आधारो पर प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन व युक्ति युक्त कारण के अभाव में प्रस्तुत किया जाने से व्यय सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–06 पेरोकार सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं होने तथा फोरमल पक्षकार होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2017 को प्रतिवादी संख्या–06 का जवाब अवसर बंद करते हुये प्रकरण को वाद बिन्दु कायमी के लिये रखा गया। दिनांक 14.11.2017 को प्रकरण में वाद बिन्दु कायम करते हुये प्रकरण को वादी पक्ष की शहादत के लिये रखा गया। वादी द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य वादी स्वयं भवानी पुत्र नपतसिंह के बयान कराये गये। प्रतिवादी संख्या–02 हीरसिंह के अधिवक्ता श्री नारायणसिंह जोशी को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 11.07.2019 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–02 के मौखिक साक्ष्य का अवसर बन्द करते हुये पत्रावली को बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व् उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुवार निर्णय पारित करते हुये दिनंक 06.08.2019 को वादग्रस्त भूमि मौजा फतापुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 195, 197, 198 कुल रकबा 11.87 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान रूपये 83.09 के अधिकार अभिलेखों में दर्ज वादी का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 का 2/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–02 का 1/9 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तथा प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01, 02 के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 101/2016 Rcms No. 2016/00141 अनवान भवानीसिंह बनाम मनोहरसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2019/ 2682 दिनांक 05.09.2019 से निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित किये गये:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टरमें)	किस्म	लगान रूपयो में	नजरी नक्शा में दर्शित रंग
हीरसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	197/1	1.32	बा.अ.	9.24	हरा रंग
भवानीसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	197 195 198/1	4.08 3.63 0.20	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	28.56 25.41 1.40	गुलाबी रंग
	03	7.91	बा.अ.	55.37	
मनोहरसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	198	2.64	बा.अ.	18.48	पीला रंग

प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री अमृत परिहार ने तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। वकील प्रतिवादी श्री नारायणसिंह जोशी द्वारा प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश के विरूद्व अपील संबधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया एवं न ही बहस के दौरान् तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संबध में किसी प्रकार का आक्षेप/ एतराज ही पेश किया। जिससे उभय पक्ष वकुलाय को सुनने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि मौजा फतापुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 195, 197, 198 कुल रकबा 11.87 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान रूपये 83.09 के सबंध में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टरमें)	किस्म	लगान रूपयो में	नजरी नक्शा में दर्शित रंग
हीरसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	197/1	1.32	बा.अ.	9.24	हरा रंग
भवानीसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	197 195 198/1	4.08 3.63 0.20	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	28.56 25.41 1.40	गुलाबी रंग
	03	7.91	बा.अ.	55.37	
मनोहरसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	198	2.64	बा.अ.	18.48	पीला रंग

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 83.09 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, गुडालास को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री श्रीनिधिं बी.टी,)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 18-11-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहाक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
लास श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.

ा :–

नीसिंह पुत्र नरपतसिंहजी जाति राजपूत
ासी फतापुरा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

तेवादीगण :–

मनोहरसिंह पुत्र नरपतसिंहजी
. हीरसिंह पुत्र नरपतसिंहजी तमाम जाति राजपुत
निवासी फतापुरा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
३. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद संख्या 101 / 2016 Rcms No. 2016/00141

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी व पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट अनुसार सरहद मौजा मौजा फतापुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 195, 197, 198 कुल रकबा 11.87 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान रूपये 83.09 के सबंध में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टरमें)	किस्म	लगान रूपयो में	नजरी नक्शा में दर्शित रंग
हीरसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	197 / 1	1.32	बा.अ.	9.24	हरा रंग
भवानीसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	197 195 198 / 1	4.08 3.63 0.20	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	28.56 25.41 1.40	गुलाबी रंग
	03	7.91	बा.अ.	55.37	
मनोहरसिंह पुत्र नरपतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	198	2.64	बा.अ.	18.48	पीला रंग

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 83.09 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, गुडालास को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-11-2019 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

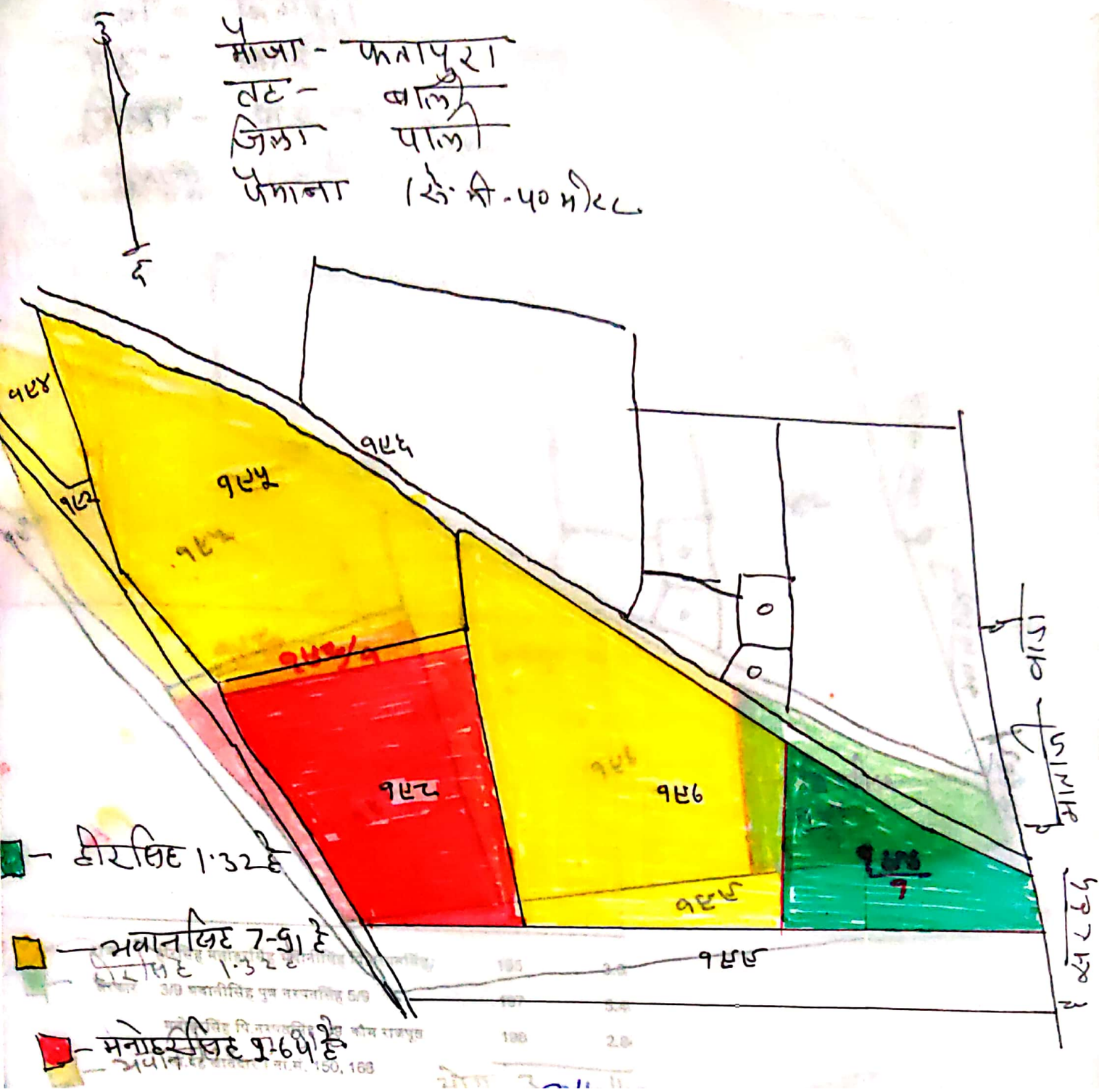

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.12.06 12:35:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: